उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 1013 -काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/10-17 काविनी एवं वे0प्र0/08 (टी0सी0) दिनांक 11 अक्टूबर 2010

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण निगमों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों का दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कतिपय मामलों में वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम होने की दशा में उत्पन्न वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु निदेशक मण्डल के दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण संरचना विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0-175-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे0प्र0/ 08 दिनांक 19.02.09 के प्रस्तर-8(2) में निहित प्राविधानों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 को 01 वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान का अधिकतम वेतन स्तर पा रहे कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था दी गई है।

2. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किये जाने पर कतिपय ऐसे दृष्टान्त संज्ञान में लाये गये हैं, जिनमें ऐसे वरिष्ठ कार्मिक जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2006 से पूर्व उच्च पदोन्नति के पद पर हुई, उन्हें तत्समय प्रभावी आदेशों के अन्तर्गत विस्तारित वेतन वृद्धि की अनुमन्यता साधारण (अपुनरीक्षित) वेतनमान में ही होने के कारण एवं साथ ही दिनांक 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान) के अधिकतभ वेतन स्तर पर बने न रहने के कारण उन्हें दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी दर से अनुमन्य करायी गई वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य नहीं हो सका है। इसके फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के अवसर पर वरिष्ठ का वेतन उनसे कनिष्ठ की तुलना में निम्न स्तर पर निर्धारित होना परिलक्षित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिकों के मध्य वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है।

3. उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु प्रकरण निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के समतुल्य निर्धारित करते हुए विसंगति की तिथि से वेतन समता प्रदान की जायेगी।

(क्रमशः ...

4. उपर्युक्त निर्णय के अभीष्ट क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी उपरोक्तानुसार वेतन समता की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सक्षम होंगें। इस प्रकार वरिष्ठ एवं कनिष्ठ से सम्बन्धित वेतन समतुल्यता विषयक प्रकरणों में वेतन समतुल्यता दिये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (यथास्थिति) की विधीक्षा/प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन की जायेंगी :-

I- वरिष्ठ कार्मिक संवर्ग के प्रारंभिक मूल पद के अंतिम वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ से वरिष्ठ होना चाहिए।

II- कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कार्मिक को एक ही संवर्ग का ही होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह संवर्ग में समान पद होने चाहिए।

III- निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान) तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिए।

IV-वरिष्ठ कार्मिक वर्तमान वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान) में दिनांक 01.01.2006 को कनिष्ठ कार्मिक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।

V- उपर्युक्त विसंगति सामान्य परिस्थितियों में मात्र कनिष्ठ कार्मिक को वरिष्ठ की तुलना में दिनांक 1.1.06 को एक वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान) के अधिकतम वेतन स्तर पर बने रहने के कारण दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के कारण उत्पन्न हुई हो।

5. आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 एस0 पाण्डेय)
अपर सचिव (का0प्र0-1)

<u>सं0 1013 (I)– काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010 – तददिनांकित 11 अक्टूबर 2010</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

आज्ञा से,

(आर0 एस0 पाण्डेय)
अपर सचिव (का0प्र0-1)

सं0 1013 (11)– काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010 – तददिनांकित // अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्सम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।

2- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

4- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

5- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

6- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7- अनु सचिव (सचिवालय प्रशासन–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

8- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी,उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

12- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 20.07.2010 को सम्पन्न मद सं० चौरासी (95)/10 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में ।

13- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(आर0 एस0 पाण्डेय)
अपर सचिव (का0प्र0-1)